BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1088/2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

NATURAL SOCIAL SERVICES

...APPLICANT

VERSUS

DIRECTOR GENERAL DIRECTORATE OF TOURISM & ORS.

...RESPONDENT(s)

<u>INDEX</u>

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 03.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 29.11.2025 ALONG WITH ITS ANNEXURES IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE MOM DATED 01.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF ORDER DATED 28.04.2016 IN	

	PUBLIC INTEREST LITIGATION NO. 31229/2005, KAUTILYA SOCIETY VS. STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	
6.	A COPY OF THE MOM DATED 30.05.2018 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-5**	
7.	A COPY OF THE GO DATED 16.02.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF THE APPLICATION FOR THE PERMISSION DATED 28.11.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-7**	
9.	A COPY OF LETTER DATED 28.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-8**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 23/02/2026
PLACE: NOIDA

NOTARIAL NOTARIAL

10 Rs.10 TEN RUPEES

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1088/2024

S. No. 111
DATE 22/2/26
NOTARY INDIA

IN THE MATTER OF:

NATURAL SOCIAL SERVICES

...APPLICANT

VERSUS

DIRECTOR GENERAL DIRECTORATE OF TOURISM & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Sateyendra Kumar, aged about 38 years, S/o Shri Radha Raman Jha, District Magistrate, Varanasi, Uttar Pradesh, do hereby solemnly state and affirm as under:

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, U.P.
Regd. No.-13472/2017
GOVT. OF INDIA

1. That I, the Deponent, am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear this affidavit.

2. That in the present matter, the Applicant has raised grievance against the construction of Garwaghat in Varanasi.

3. That The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as The Hon'ble Tribunal) vide its order dated 08.12.2025 has passed the following order:-

   "...1. A letter has been circulated by the counsel for the Respondent No. 1 and 2 seeking a week's adjournment for filing the proper reply along with all the relevant documents. Learned counsel for the Respondent 1 and 2 submits that the reply is ready but for want of documents it could not be filed..."

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-13472/2017
GOVT. OF INDIA

COMPLIANCES/ ACTIONS TAKEN ARE AS FOLLOWS:

4. That in compliance with the order passed by Hon'ble Tribunal, the Deponent has issued a letter dated 03.05.2025 to tourism Department, Varanasi directing them to submit their report and NOCs/ permissions taken from the concerned departments regarding the construction of the Garwaghat in Varanasi.

   A copy of the letter dated 03.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That in compliance of the directions issued by the DM, Varanasi, the Joint Director of Tourism, Varanasi Division, Varanasi vide letter dated 29.11.2025 has provided the requisite information sought by the DM, Varanasi in respect to the NOCs/ permissions taken from the concerned departments regarding the construction of the Garwaghat in Varanasi.

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

A copy of the letter dated 29.11.2025 along with its annexures is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

6. That additionally, in compliance of the directions issued by the DM, Varanasi, a meeting dated 01.12.2025 was convened under the chairmanship of the Chief Development Officer, Varanasi with the members of District Ganga Committee, Varanasi; and Deputy Director, Tourism, Varanasi Division, Varanasi; and the executing agency U.P. Projects Corporation Ltd., Varanasi. The facts emerged during the meeting are as follows:

   A copy of the MOM dated 01.12.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

   i. The Hon'ble High Court vide order dated 28.04.2016 in *Public Interest Litigation No. 31229/2005, Kautilya Society vs. State of Uttar Pradesh and others*, has granted liberty/empowered the expert committee formed by the Union Government to

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

consider the proposals for the repair of the Ghats. The relevant portion of the High Court order is stated below:

"...Hence, we are of the view that it would be but appropriate and proper that the broad based committee which has been constituted considers the proposals which have been moved before the Court. Upon the receipt of the consent of the committee, the State Government would be at liberty to proceed with the work of repair. In order to facilitate the fulfillment of the urgent need of repairing of the Ghats and to provide amenities to tourists, pilgrims as well as the local residents who visit the Ghats on a daily basis, we would request the committee initially to meet at least once every fortnight so as to facilitate an early decision on the proposal for repair. Once the requisite consent has been granted, the committee would be at liberty to schedule its meetings in accordance with the exigencies of work. To facilitate the work of repair of the Ghats, we lift the order of

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-17472/2017 GOVT. OF INDIA

restraint. We clarify that subject to the above, the interim order shall not stand in the way of the carrying out of repairs to the Ghats..."

A copy of order dated 28.04.2016 in *Public Interest Litigation No. 31229/2005, Kautilya Society vs. State of Uttar Pradesh and others* is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

ii. That in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, a meeting of the Committee constituted under the Chairmanship of the Commissioner, Varanasi Division, Varanasi, was held on May 30, 2018. **The Expert Committee, during the meeting, has provided its recommendation for the construction of the Garhwa Ghat. The relevant portion of the MOM is as stated below:**

"...4. एजेण्डा बिन्दु सं०-4, लोहिया घाट, रामनगर घाट, गढ़वा घाट, राजनारायण घाट, मालवीयः घाट के नये कार्य- सिंचाई विभाग की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No. 13472/2017 GOVT. OF INDIA

समिति के सभी सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा प्रस्तावित कार्य तथा सी०आई०एल० के कार्य में ओवरलैपिंग हो रही थी। इसके कारण सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि-द्वारा विश्वसुन्दरी पुल के पास स्थित नये गंढ़वा घाट आश्रम के पास घाट के निर्माण के प्रस्ताव का प्रजेन्टेशन किया गया। इस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये किं इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के प्रभावी आदेश / स्थगनादेश आदि के अधीन समिति द्वारा कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।..."

A copy of the MOM dated 30.05.2018 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

iii. That subsequent to the consent of the expert committee, the re-construction of the Garwaghat situated on the left bank of the River Ganga in District Varanasi is presently underway over an area measuring 80 meters in length and 78.3 meters in width, covering 6,264 square meters.

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

iv. The Joint Director, Tourism, Varanasi Division, informed that for the construction of Garhwa Ghat, , an amount of Rs. 1154.16 lakhs was sanctioned vide Government Order No. 50 dated 16 February 2024 issued by Tourism Section-2, Government of Uttar Pradesh.

A copy of the GO dated 16.02.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

v. That it was further informed that the Project Manager, Uttar Pradesh Projects Corporation Ltd., Varanasi has applied for permission for the project on the NMCG portal on November 28, 2025.

A copy of the application for the permission dated 28.11.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE-7.**

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

vi. That during the meeting, the Executive Engineer, Irrigation Department, Bandhi Division, Varanasi informed that the proposed reconstruction project at

the previously existing Garwa Ghat, prima facie, is not affecting the flow of the River Ganga, nor is it having any adverse impact on the river's ecology.

vii. The Divisional Forest Officer, Varanasi Forest Division has informed that no forest land is located within the scope of the project's upgradation/expansion, and no trees are located within the proposed development area.

viii. The Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, informed that the project's coverage under the Schedule of the EIA Notification, 2006, will be determined based on the proposed construction area. According to the provisions of the EIA, 2006, prior environmental clearance from the State EIA Authority will be mandatory, if the built-up area exceeds 20,000 square meters. That it is pertinent to note that the built up area of the reconstruction is 6,264 square meters.

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

7. That in compliance with the order passed by Hon'ble Tribunal, the Deponent has issued vide letter no. 1205, dated 28-01-2026 to tourism Department, Varanasi directing them, further no construction work should be carried out at Garhwa Ghat until online permission is obtained from NMCG for the construction of Garhwa Ghat.

   A copy of the letter dated 28.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-8.**

8. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that all the requisite actions are being taken to ensure compliances with the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

9. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-15472/2017
GOVT. OF INDIA

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official

records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 22 day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt. Varanasi, UP
Regd. No. 13472/2017
GOVT. OF INDIA

Sworn Before Me & Solemnly
Affirm Signature and Contents
Verified Today

S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017

Annexure-1

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी

संदर्भ सं0: 107/NGT OA No. 1088/2024/25-26 **दिनांक :** 03/05/2025

सेवा में,

उप निदेशक,
पर्यटन,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

विषयः—**मा0 एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।**

महोद,

कृपया मा0 एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

"........2. Learned counsel for the applicant referring to the news item filed as annexure 2 has submitted that the construction includes not only the Ghat but also the fast-food shops, benches, parking and changing rooms which is not permissible within 200 meters of River Ganga.

3. He has orally submitted that the Ghat is being constructed on the river bed itself, which will affect the flow of the river.
4. Issue notice to the respondents for filing the response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.
5. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.
6. The applicant is permitted to implead NMCG by amending the cause title and also serve the newly added respondent.
7. List on 06.05.2025.

उपरोक्त वर्णित मा0 एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि गढ़वा घाट निर्माण के सम्बंध में विभिन्न विभागों से प्राप्त की गई एन0ओ0सी0/अनुमति की सूचनाओं के साथ अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
वाराणसी

संदर्भ संख्या एवं दिनांक—उपरोक्त।
प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/5/25

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
वाराणसी

Annexure-2

कार्यालय–संयुक्त निदेशक पर्यटन,
वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल, वाराणसी।

ई–मेलः uptvns@gmail.com

पत्रांक/121 /रा0यो0/गढ़वा घाट /2025 दिनांक 29 नवम्बर, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

विषय– मा0 एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 नं0–1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 03.05.2025 जो उपनिदेशक पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सम्बोधित है के माध्यम से गढ़वा घाट निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से प्राप्त एन0ओ0सी0/अनुमति की सूचनाऐं प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये हैं :–

1– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट का निर्माण कार्य हेतु पर्यटन अनुभाग 2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 50 दिनांक 16 फरवरी 2024 के माध्यम से धनराशि रू0–1154.16 लाख स्वीकृत किया गया है **(अनुलग्नक–1)** जिसके अंतर्गत पूर्व में 233 मीटर लम्बा घाट निर्माण कराया जाना था। वर्तमान में 80 मी0 लम्बाई × 78.3 मी0 चौड़ाई=6,264 वर्ग मी0 में घाट का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0 द्वारा लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2– नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) द्वारा आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2016 **(अनुलग्नक–2)** में घाट के निर्माण हेतु अपना कथन निम्नानुसार अंकित किया है–

"The Justification for the need of construction of new ghats as informed by UP Irrigation Department seems to be acceptable."

3– मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 31229/ 2005 कौटिल्य सोसायटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 30.05.2018 को बैठक सम्पन्न हुई, समिति द्वारा गढ़वा घाट के निर्माण हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की गयी। **(बैठक का कार्यवृत्त अनुलग्नक–3)**।

4– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सारनाथ वृत्त, सारनाथ द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 नवम्बर 2016 के माध्यम से गढ़वा घाट के निर्माण हेतु अपनी सहमति प्रदान की गयी **(अनुलग्नक–4)**।

5– अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा अपने पत्र 21 अक्टूबर 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति/संस्तुति प्रदान की गयी है **(अनुलग्नक–5)**।

6– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में प्रतिवादी संख्या–4 महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से दिनांक 28.04.2025 को प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया गया **(अनुलग्नक–6)**।

7– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन में ई0आई0ए0 (Environmental Impact Assessment) रिपोर्ट दिनांक 04.05.2025 को अतिरिक्त सूचना सहित प्रतिशपथ–पत्र के साथ मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी **(अनुलग्नक–7)**।

क्रमशः..........2/

8– परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा दिनांक 28.11.2025 को एन0एम0सी0जी0 के पोर्टल पर परियोजना पर अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है **(अनुलग्नक–8)**।

अस्तु उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अनुलग्नक–उपरोक्तवत्।

भवदीय

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक पर्यटन,
वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल,
वाराणसी।

पृ0पत्रांक / 2025 समदिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

संयुक्त निदेशक पर्यटन,
वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल,
वाराणसी।

अनुलग्नक - 1

संख्या- 50/2024/आई/497891/001-41-1002-001-273-2023-SM-1759690

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2024

विषय:- जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपने पत्र सं0-41439/6-1-1(1190)/2023-24 दिनांक 15.09.2023 एवं पत्र संख्या-7484/6-1-1/(1190)/2020-21 दिनांक 04.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 1188.68 लाख के सापेक्ष उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1154.16 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के दृष्टिगत प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 1154.16 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण गंगा नदी तट पर किया जाना प्रस्तावित है। अतः सिंचाई विभाग से यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं परामर्श प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के वाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाय आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(20) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(22) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/ 2023/ ए-2 66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

(24) प्रायोजना का परीक्षण लोक निर्माण/सिंचाई विभाग की प्रचलित अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर-2023 पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की अनुसूची दरों वर्ष 2020/2021 एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इन दरों को गुणवत्ता एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 3,50,00,000 (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044600 वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-492/दस-2023-24, दिनांक-08.02.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by संजीव कुमार श्रीवास्तव
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।
Date: 16-02-2024 17:52:27
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक (रा0गो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), यूनिट-3, वाराणसी।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

अनुलग्नक-2.

9/12/2016

(16)

File No: G-02/2016-17/430/NMCG
National Mission for Clean Ganga, NGRBA
Government of India

1st Floor
Major Dhyan Chand National Stadium – India Gate
New Delhi -110002
Dated: 8 November, 2016

To,

The Divisional Commissioner,
Varanasi
Uttar Pradesh-221010

Subject: Comments on the DPRs (5nos.) received forthe new Ghats at Varanasi.

Kindly refer the directions of the Committee constituted by Hon'ble High Court and subsequent 5 DPRs of new ghats, received vide letter no. 1779/Sinikh dated 22/10/2016 Executive Engineer Sichai Nirman Khand, Varanasi Uttar Pradesh for NMCG observation andfollowing are the observation of NMCG:

1. The DPRspertains to construction of five no. new Ghats on the bank of river Ganges in Varanasi namely Garhwa Ghat, Ramnagar Ghat, Malviya Ghat, LohiaGhat and Rajnarayan Ghat, are proposed to be constructed on upstream of the Assi Ghat.
2. The U.P. Irrigation Department should ensure its constant coordination with the other agencies working in the vicinity viz. JICA assisted GAP-II project works and EIL to avoid any duplicity of work.
3. The building/construction materials viz. cement, sand, gravels and boulders, wire crates etc. used for construction of Ghats are in acceptance & does not have adverse effect on Flora & Fauna of the stream.
4. The arrangement proposed for proper collection and disposal of solid/liquid wastes from toilets is not clear form DPRs. It should be ensured by the executing Agency proper collection and disposal of the wastes at the Ghats keeping the hygiene aspects in mind.
5. In the lay out plan attached with DPRs, drawings, the location of proposed Chhataries and High Mast lights is not shown.
6. It is not clear whether the Bio-Toilets are planned at separate locations or within the changing rooms shown in layout.
7. Availability of land must be ensured before starting activities?
8. The land width shown in the transverse direction be checked so that the others permanent existing structures viz. temples or house/Shadesetc. does not create any obstruction/hindrance during construction activity.

2408
09/12/16

EE

U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

(17)

9. The justification for the need of construction of New Ghats as informed by U.P. Irrigation Dept. seems to be acceptable.

10. The proceedings of different meeting of Technical Expert committee conducted regularly regarding Kautilya Society court case, different suggestions & queries brought in the knowledge of the committee have been accommodated/sorted out in framing the DPRs, and appears to be acceptable.

Yours Sincerely,

(Hari Har Mishra)
Additional Mission Director

CC:

1. Vice Chairman, Varanasi Development Authority, Varanasi
2. District Magistrate, Varanasi district, Varanasi.
3. Executive Engineer, Sinchai Nirman Khand, Varanasi, Uttar Pradesh for na.

नोटरी भारत सरकार
उमा कान्त चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

अनुलग्नक -3

19

कार्यालय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी

जनहित याचिका संख्या–31229/2006 कौटिल्य सोसायटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 का कार्यवृत्त

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या–31229/2006 कौटिल्य सोसाइटी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2014 व 29.01.2015 के अनुपालन में Director, National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Government of India, New Delhi द्वारा निर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.02.2018 के अनुक्रम में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयुक्त कार्यालय सभागार में दिनांक 30.05.2018 को अपराह्न 6.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री दीपक अग्रवाल, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. श्री योगेश्वर राम मिश्र, जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. श्री राजेश कुमार, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. श्री अविनाश चन्द्र मिश्र, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, वाराणसी।
5. श्री विनोद कुमार सक्सेना, नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
6. श्री राम विजय सिंह, पी.एम. यूपीआरएनएन।
7. श्री अभिमन्यू एस0 राय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. श्री अजीत कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, वाराणसी।
9. श्री आलोक जैन, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
10. श्री अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
11. श्री मनोज कुमार सहा, नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
12. श्री पवन न्यायापती, डायरेक्टर, पी0डब्ल्यू0सी0।
13. श्री कुनाल अग्रवाल, सीनियर कन्सल्टेन्ट, पी0डब्ल्यू0सी0।
14. श्री प्रियांशू सक्सेना, कन्सल्टेन्ट पी0डब्ल्यू0सी0।
15. श्री ज्ञानचन्द्र पी.एम.सी. एन.बी.सी.सी. वाराणसी।
16. श्री डी0पी0 सिंह, सीनियर मैनेजर, प्लानर इण्डिया लि0।
17. श्री विवेक कुमार राय, सिविल इंजीनियर (जायका) पी.एम. यू. नगर निगम वाराणसी।
18. श्री ज्ञानदीप जायसवाल, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, इन्टैक।
19. इंजीनियर प्रकान्त तँवर, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी.एण्ड.डी.एस. वाराणसी।

सर्व प्रथम उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की विगत बैठक दिनांक 02.04.2018 के कार्यवृत्त से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया तदुपरान्त एजेण्डावार विषयों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

1. <u>एजेण्डा बिन्दु सं0–1, अस्सी घाट से राजघाट पुल तक की परियोजना का कार्य</u>–सी0सी0एल0 (कोल इण्डिया लि0) संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इस पर आयुक्त महोदय

भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

20

द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.डी.एस. एवं सिंचाई विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में ओवरलैपिंग कार्यों की स्थिति स्पष्ट कर ली जाय तत्पश्चात् पुनः संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

2 एजेण्डा बिन्दु सं0–2, विरासत फाउण्डेशन द्वारा शीतला व आर0पी0 घाट के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य–संस्था की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इस सम्बन्ध में विरासत फाउण्डेशन को पत्र प्रेषित करने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने एवं कार्य में रुचि न लेने के कारण क्यों न आपकी परियोजना को निरस्त कर सूची से हटा दिया जाय।

3. एजेण्डा बिन्दु सं0–3, इंजीनियर्स इण्डिया लि0/प्लानर्स इण्डिया के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी में गंगा के 71 घाटों के मरम्मत/पुनरुद्धार के कार्य हेतु समिति के दो सदस्यों–ए0एस0आई एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर नई दिल्ली से अभी अनापत्ति प्राप्त करना शेष है। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि समस्त शेष सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त कर परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने के साथ योजना सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

4. एजेण्डा बिन्दु सं0–4, लोलिया घाट, रामनगर घाट, गढ़वा घाट, राजनारायण घाट, मालवीय घाट के नये कार्य– सिंचाई विभाग की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि समिति के सभी सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा प्रस्तावित कार्य तथा सी0आई0एल0 के कार्य में ओवरलैपिंग हो रही थी। इसके कारण सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विश्वसुन्दरी पुल के पास स्थित नये गढ़वा घाट आश्रम के पास घाट के निर्माण के प्रस्ताव का प्रजेन्टेशन किया गया। इस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के प्रभावी आदेश/स्थगनादेश आदि के अधीन समिति द्वारा कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

5. एजेण्डा बिन्दु सं0–5, अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी की 33/11 के0वी0 नगवां विद्युत उपकेन्द्र– का कार्य जनहित की अवस्थापना सम्बन्धित आवश्यक परियोजना है। अतः ऐसे कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत उक्त परियोजना कार्य की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

6. एजेण्डा बिन्दु सं0–6, पी0डब्ल्यू0डी0 (एन0एच0ए0आई0) वाराणसी में इण्टर माडल स्टेशन को विकसित किया जाना–बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सी0पी0डब्ल्यू0डी0 एवं नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। एन0एम0सी0जी0, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर नई दिल्ली, इण्टेक के सुझाव प्राप्त है। शेष अन्य से प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन सदस्यों द्वारा अनापत्ति के साथ सुझाव प्राप्त है, उनके सुझाव का अनुपालन

नोटरी भारत सरकार
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF

21

कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी। साथ ही कार्यदायी संस्था को शेष समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

7. <u>एजेन्डा बिन्दु सं0–7, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना पर गंगा के किनारे कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्य</u>–गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक मार्ग का कार्य (पेडेस्ट्रीयेशन एण्ड फुटपाथ) एवं अस्सी घाट पर सुलभ प्रसाधन एवं रोड इम्प्रूवमेंट, राजघाट पर सुलभ प्रसाधन एवं रोड इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह पाया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. <u>एजेन्डा बिन्दु सं0–8, नगर निगम द्वारा गंगा किनारे घाट पर 08 नये शौचालय का निर्माण का कार्य का प्रस्ताव</u>:–नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 8 नये शौचालय–तेलियानाला घाट, तुलसी घाट, नन्देश्वर घाट, त्रिलोचन घाट, आदिकेशव घाट, नया अस्सी घाट, रविदास घाट, राज घाट(2) पर निर्माण कराये जाने के प्रकरण पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अंत में बैठक सधन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

(दीपक अग्रवाल)
आयुक्त/अध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक :–141 /वि0प्रा0/न0नि0/2018–19 दिनांक–07.08.2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2 विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (मनोनीत सदस्य राज्य सरकार)।
3 जिलाधिकारी, वाराणसी।
4 नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी
5 श्री जान्हवियि शर्मा, डायरेक्टर कन्जर्वेशन, ए0एस0आई0 नई दिल्ली।
6 श्री ए0के0 सिंह सी.पी.डब्लू.डी., बी.एच.यू. प्रोजेक्ट डिवीजन–1, वाराणसी।
7 श्री परेश कुमार दुरियां, एसोसिएट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली।
8 श्री आर0पी0 कौशिक, रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ।
श्री कालिका कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्र0नि0 बोर्ड, वाराणसी (मनोनीत सदस्य पर्यावरण विभाग, उ0प्र0)।
10 श्री हरिश्चन्द्र पिंपी, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, एन0एम0सी0जी0 नई दिल्ली।

U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

22

कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी। साथ ही कार्यदायी संस्था को शेष समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

7. <u>एजेण्डा बिन्दु सं0–7, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना पर गंगा के किनारे कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्य</u>–गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक मार्ग का कार्य (पेडेस्ट्रीयेशन एण्ड फुटपाथ) एवं अस्सी घाट पर सुलभ प्रसाधन एवं रोड इम्प्रूवमेंट, राजघाट पर सुलभ प्रसाधन एवं रोड इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह पाया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. <u>एजेण्डा बिन्दु सं0–8, नगर निगम द्वारा गंगा किनारे घाट पर 08 नये शौचालय का निर्माण का कार्य का प्रस्ताव</u>:–नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 8 नये शौचालय–तेलियानाला घाट, रक्षा घाट, नन्देश्वर घाट, त्रिलोचन घाट, आदिकेशव घाट, नया अस्सी घाट, रविदास घाट, राज घाट(2) पर निर्माण कराये जाने के प्रकरण पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

(दीपक अग्रवाल)
आयुक्त/अध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक :–141 /वि0प्रा0/न0नि0/2018–19 दिनांक–07.06.2018

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2 विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (मनोनीत सदस्य राज्य सरकार)।
3 जिलाधिकारी, वाराणसी।
4 नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी
5 श्री जान्हविज शर्मा, डायरेक्टर कन्जर्वेशन, ए0एस0आई0 नई दिल्ली।
6 श्री ए0के0 सिंह सी.पी.डब्लू.डी., वी.एच.यू., प्रोजेक्ट डिवीजन–1, वाराणसी।
7 श्री परेश कुमार दुरिया, एसोसिएट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली।
8 श्री वाई0वी0 कौशिक, रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ।
9 श्री अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्र0नि0 बोर्ड, वाराणसी (मनोनीत सदस्य पर्यावरण विभाग, उ0प्र0)।
10 श्री हरिहर मिश्रा, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, एन0एम0सी0जी, नई दिल्ली।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY

23

11 श्री अवध नरेश गुप्ता, टेक्निकल कन्सल्टेन्ट, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, लखनऊ।

12 श्री दिव्य गुप्ता डायरेक्टर, इन्टैक, नई दिल्ली।

13 श्री हरिश्चन्द्र यादव, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग, वाराणसी।

14 श्री अभिमन्यू एस राय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग वाराणसी।

15 श्री एन0के0 सिंह सहा0अभि0 सिंचाई विभाग।

16 श्री अशोक कपूर, संयोजक, इन्टैक, वाराणसी।

17 श्री आशीष अस्थाना, अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. वा0

18 श्री अरूण कुमार सिंह, ए0पी0एम0, सी0 एण्ड डी0 एस0, वाराणसी।

19 श्री अविनाश कुमार मिश्रा, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, वाराणसी।

20 श्री अवधेश मिश्रा, एस0डी0ओ0 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।

21 श्री आलोक कुमार एच0ओ0डी0 कोल इण्डिया।

22 श्री एस0डी0सिंह सीनियर मैनेजर, कोल इण्डिया।

23 सुश्री दिपिका सिंह, जी.एम. पिरामल ग्रुप।

24 श्री डी0पी0सिंह सीनियर मैनेजर प्लानर इण्डिया।

25 श्री आय कुमार, मैनेजर ई0आई0एस0।

26 श्री एस0बी0 सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एन0एच0ए0आई0, वाराणसी।

27 श्री पवन कुमार एसोसिएट डायरेक्टर, पी.डब्लू.सी।

(दीपक अग्रवाल)
आयुक्त / अध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

NOTARY GOVT OF ... U.K. Chaturvedi N 13373/17

24

9 2.6/10/16

From,

Prof. U.K Chaudhary (Rtd)
Ex-head, Civil Engineering Department.
I.I.T, B.H.U, Varanasi.

To,

The secretary,
Varanasi Vikash Pradhikaran
Varanasi.

Ref. your letter no- 73/वि०प्रा०/सचिव/2016–17, dated 08.08.16
And letter from Dinesh Singh, Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Varanasi letter no-1783/I.C.D, Vns. Dated 22.10.2016

Dear Sir,

Through the drawings of the D.P.Rs of the 5 different Ghats and also the slope data, I personally obtained today, 26.10.2016, I submit here with my revised report

1. Reduced level of different Ghats are mentioned in the drawing with detailing of the Ghats.
2. As per the data of the field visit the slope of the banks where the Ghats are proposed varies from 10° to 30°. Hence, for stability analysis the soil testing report is not required.
3. Since, the slope is extreamly mild therefore, pheritic line slope is not required.
4. The depth of water near the bank which follows the slope of the bank (as there is no problem of erosion) the depth is 2.2cm in the distance of 15m. Hence no, further verification is required.
5. Since the bank is stable, no model testing is required.
6. As estimated the average velocity in the lean period is around 2.5 m/s to 3.0 m/s near the bank, hence there is no problem of stability, this also has been verified in the field.
7. The designed depth, calculated by the equation and the maximum depth of erosion obtained through the drawing the design has been made, by taking the higher depth obtained by the expression. Hence, it is safe side.
8. The chemical testing, at present, is not required as the Ghats are for away from the source of pollution. However, the chemical testing can be done after the approval of the D.P.R and ever after the construction of the Ghats.
9. Since, the bank slope is extreamly mild therefore, bed slope measurement is not required. The slope of the Ghat will be the same as the natural bank slope.
10. Why the Ghats are required, is submitted recently.

So,
All points have been cleared and as such, the D.P.R may be approved.

Place: Durgakund, Varanasi-5

Date: 26/10/2016

उदय कुमार चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

Prof. U.K Chaudhary (Rtd)
Ex-head, Civil Engineering Department.
I.I.T, B.H.U, Varanasi.

26

(12)

File No.14/6/PIL/No.31229/2015-CC-
Government of India
Archaeological Survey of India
Sarnath Circle, Sarnath

To,

Dated...............

Sri Janhwij Sharma
Jt. Director General (Conservation)
O/o the Director General
Archaeological Survey of India
Janpath, New Delhi-11

Sub; providing comments/suggestion on the project for construction of Ghats for compliance of the direction dated 28.04.2016 in the PIL by Kautilya Society-reg.

Sir,

I have the honour to enclose herewith the xerox copy of a letter No. 1803 / सि.नि.ख.या. दिनांक 25.10.2016, addressed to you and a copy endorsed to this office from Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Varanasi, wherein the consent from Archaeological Survey of India has been sought for construction of five new Ghats on the bank of river Ganga. This is required in the light of the direction of Hon'ble High Court, Allahabad which has nominated your good self as a member of committee for the purpose on behalf of Archaeological Survey of India.

As desired by you I have gone through the proposal and discussed in detail with the officials of Irrigation Department. My observations on the matter are as under:

a. Proposed sites of all five ghats namely Garhwa Ghat, Ram Nagar Ghat, Malviya Ghat, Lohiya Ghat and Raj Narain Ghat are fairly beyond the limit of 300 mtrs. of any Centrally Protected Monument. The nearest Centrally Protected Monument is located about one kilometer from the proposed ghats for construction.

b. The design and nature of materials are heritage friendly.

c. I personally opine that the consent for the said proposal may be given, as there is nothing in contravention to the laid down Archaeological Acts and Rules.

This is for your kind perusal and further necessary action at your level please.

Yours faithfully

(K. C. Srivastava)
Superintending Archaeologist (I/c)

File No.14/6/PIL/No.31229/2015-CC- 1577
Date... 07 NOV 2016

Copy to:

1. Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Varanasi

U. K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

Superintending Archaeologist (I/c)

अनुलग्नक - 5

28

(2) 21/10/16

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
परियोजना प्रबन्धक, बी०एच०यू० परियोजना परिमण्डल
सेन्ट्रल आफिस के पीछे, बी०एच०यू०, वाराणसी
फोन नं० : 0542-2300410; टेलीफैक्स : 0542-2300104, ई-मेल : pmbhuvns@gmail.com

CPWD

पत्रांक : पी.एम.पी.एच.यू./एन.एम.सी.जी./2016/1460 | दिनांक : 21/10/2016

सेवा में,

अध्यक्ष/आयुक्त,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषय: कौटिल्य सोसायटी द्वारा योजित रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2016 के अनुपालन में जनपद वाराणसी के घाटों की पुनरीक्षित परियोजना के सम्बन्ध में।
(SH: Proposal of 05 new ghats by the Department of Irrigation, Govt. of India)

महोदय,

1. The meeting was held on 17.10.2016 under the chairmanship of the Commissioner, Varanasi Division, Varanasi. It was desired by the chairman that the expert members should offer the comment according to their field of expertize so that the process of evaluation of proposals and further submission of the reports to the Hon'ble High Court can be expedited.
2. *Kindly take reference of the DPRs submitted by the Irrigation department for construction of 05 new ghats forwarded vide letter no. 73/VDA/Secretary/2016-17 dtd. 08.08.16 and further submission by the department of Irrigation vide letter no. 1448 dtd. 27.08.2016.*
3. *I am offering the observations on Civil Engineering aspect. The observations of undersigned as civil engineer are as below -*
   a) *The Irrigation department has proposed to construct the ghats with general materials like concrete, stones boulders, etc. these are not harmful.*
   b) *The Irrigation department has incorporated the suggestion of providing boulder in GI wire crats in place of geo textile bags for pitching to ensure better stability which may be accepted.*

U.K. Chaturvedi N 13373/17 NOTARY GOVT OF INDIA

[signature]

29

c) The Irrigation department has given that EIA (Environment Impact Assessment) will be done in due course of time.

d) The Irrigation department should also include environmental control measures and waste disposal systems during the construction as well as after the construction in his EIA.

Thanking you,

(आर० पी० सिंह)
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि–
उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

अधीक्षण अभियंता

भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

Annexure-3

गढ़वा घाट, वाराणसी पर बन रहे पक्का घाट निर्माण हेतु एन0एम0सी0जी0 से अनुमति प्राप्त करने हेतु समिति की आख्या।

मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को जिला गंगा समिति, वाराणसी के सदस्यों तथा उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी तथा कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0, वाराणसी के बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः—

1. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट का निर्माण कार्य हेतु पर्यटन अनुभाग—2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 50 दिनांक 16 फरवरी 2024 के माध्यम से धनराशि रू० 1154.16 लाख स्वीकृत किया गया है, **(अनुलग्नक—1)** तत्क्रम में **वर्तमान में 80 मी0 लम्बाई × 78.3 मी0 चौड़ाई=6,264 वर्ग मी0 में घाट का निर्माण कराया जा रहा है।** परियोजना की कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि० द्वारा लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एन०एम०सी०जी०) द्वारा आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2016 **(अनुलग्नक—2)** में घाट के निर्माण हेतु अपना कथन " "The Justification for the need of construction of new ghats as informed by UP Irrigation Department seems to be acceptable." "अंकित किया है। मा० उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 31229/2005 कौटिल्य सोसायटी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 30.05.2018 को बैठक सम्पन्न हुई, समिति द्वारा गढ़वा घाट के निर्माण हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की गयी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सारनाथ वृत्त, सारनाथ द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 नवम्बर 2016 के माध्यम से गढ़वा घाट के निर्माण हेतु अपनी सहमति प्रदान की गयी है। अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा अपने पत्र 21 अक्टूबर 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति / संस्तुति प्रदान की गयी है। गढ़वा घाट निर्माण हेतु इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्मेंट रिपोर्ट तैयार

कर माननीय एन0जी0टी0 में अधिवक्ता के माध्यम से सबमिट किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा दिनांक 28.11.2025 को एन0एम0सी0जी0 के पोर्टल पर परियोजना पर अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उपरोक्त सूचनाए संयुक्त निदेशक पर्यटन, वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल, वाराणसी द्वारा पत्रांक 1121/रा0यो0/गढ़वा घाट/2025, दिनांक 29 नवम्बर, 2025 द्वारा संलग्नक सहित जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रेषित की गई है।

2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित पूर्व से स्थित गड़वा घाट के पुर्ननिर्माण परियोजना से प्रथम दृष्टया गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र किसी भी तरह प्रभावित नही हो रहा है और न ही रिवर के इकोलॉजी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना के उच्चीकरण/विस्तारीकरण के अन्तर्गत कोई भी वन क्षेत्र की भूमि स्थित नहीं है तथा प्रस्तावित विकास क्षेत्र में कोई भी वृक्ष स्थित नहीं है।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित निर्माण कार्य के क्षेत्रफल के आधार पर ही यह परियोजना ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006 के शिड्यूल के अन्तर्गत आच्छादित होने के सम्बंध में निर्णय लिया जाना होगा और यदि ई0आई0ए0, 2006 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण क्षेत्र का बिल्टअप एरिया 20000 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में राज्य ई0आई0ए0 प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्रस्तावित परियोजना को बिल्टअप एरिया 6264 वर्गमीटर होने के दृष्टिगत ई0आई0ए0 अधिसूचना प्रभावी नहीं है।

अन्त में समिति के सभी सदस्यों द्वारा गंगा नदी के तट पर प्रस्तावित गढ़वा घाट के निर्माण परियोजना से जन–मानस की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को सुगम बनाये जाने और नदी तट के सौंदर्यकरण के साथ–साथ कटाव को रोकने एवं पर्यटन की वृद्धि के उद्देश्य से प्रस्तावित गढ़वा घाट के निर्माण हेतु सहमति जताई गई तथा एन0एम0सी0जी0 से उक्त परियोजना के कियान्वयन की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के स्तर से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0 प्र0 (एस0एम0सी0जी0),

6 राणाप्रताप मार्ग, प्रशासनिक भवन, उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय, हजरगंज, लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार जिला गंगा समिति की आख्या अवलानार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क0सं0	विभाग का नाम	नाम एवं पद	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	श्री प्रखर कुमार सिंह (आई0ए0एस0)	
2	वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी	श्री शिव शंकर, प्रभागीय वनाधिकारी	
3	पर्यटन विभाग	श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक	
4	डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय, वाराणसी	श्री रजनीश कुमार पाल, डी0सी0	
5	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	श्री रोहित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी	
6	नगर निगम, वाराणसी	श्री अगम कटियार, अधिशासी अभियन्ता	
7	यू0पी0पी0सी0एल0–03 वाराणसी	श्री मानवेन्दर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर	
8	वी0डी0ए0 वाराणसी	श्री प्रभात कुमार, टाउन प्लानर	
9	सिंचाई विभाग, बन्धी डिवीजन, वाराणसी	श्री अतुल कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता	
10	यू0पी0 जल निगम, नगरीय, वाराणसी।	श्री सुरेन्द्र, सहायक अभियन्ता	
11	यू0पी0 जल निगम, ग्रामीण, वाराणसी।	श्री के0के0 वर्मा, सहायक परियोजना अभियन्ता (JE)	

 Annexure-4

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 31229 of 2005

Petitioner :- Kautilya Society Thru' General Secy. & Another
Respondent :- State Of U.P. Thru' Principal Secy. & Others
Counsel for Petitioner :- Neeraj Tiwari,Neera Tiwari,S.T. Ali,Sandeep Chaturvedi,Suneet Kumar,Suneet Tewari,Tahir Husain,U.N.Sharma,Virendra (In Person),Vrinda Dar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.N.Tewari,Ajay Kumar Singh,Ajit Kumar Singh,C.K. Parekh,Gyan Prakash,Manish Goyal,Prakash Padia,Q.H. Siddiqui,Raunak Parekh,Sanjay Kumar Om,Shambhu Chopra,Swati Agrawal,Vivek Varma

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

A. Repair Bye-laws and Model Heritage Bye-laws

In the affidavit which has been filed by the Superintending Engineer of the Varanasi Development Authority[1] on 17 February 2016, it has been stated that in pursuance of the orders passed by this Court, building construction and development bye-laws have been amended after obtaining the prior approval of the State Government after which the bye-laws have been adopted by VDA. Bye-law 3.1.10 as amended contains provisions for regulating repairs and reconstruction of buildings situated within 200 meters of the banks of the river. At this stage, we may note that bye-law 3.1.10 has provided a complete mechanism to ensure that no new or fresh construction is raised in a manner that would either alter the exterior portion of an existing building or result in an alteration of the footprint, ground

1 VDA

coverage area, floor area ratio or height of the building.

In this context for convenience of reference, we may extract clause (III) (छ) of the amended bye-laws which reads as follows:

> "(छ) पूर्व निर्मित भवन के बाह्य स्वरूप में कोई परिर्वतन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में ही मरम्मत/पुर्ननिर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन के 'फुट–प्रिन्ट', भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊँचाई में कोई वृद्धि/अनुमन्य नहीं होगा। बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही अनुमन्य होंगे।"

The amended bye-laws also include various other requirements including the submission of the plan in respect of the existing building and relevant documents and contain stipulations to the effect that there would be no change of the use of the existing structure and there would be no discharge of sewage into the river. Provisions have also been made for inspection of the constructions so as to enable the development authority to verify that there has been a breach of the bye-laws.

The State Government in exercise of its powers conferred by Section 57 read with Section 9 (2) of the UP Urban Planning and Development Act 1973 has also notified on 20 January 2016 the Model Heritage Bye-laws which have been adopted by the VDA on 22 January 2016.

Since the amended bye-law 3.1.10 of the Building Construction and Development Bye-laws has now received the approval of the State Government and has been adopted by the VDA, we deem it appropriate and proper to order and direct that all permissions for repair and development strictly in accordance with the approved Bye-laws may be processed by the VDA. However, we clarify that this order shall not be construed as an order permitting the regularization of any construction which has been carried out in violation of the provisions of the UP Urban Planning and Development Act 1973 which, in any case, shall be dealt with in accordance with the provisions of the law by the VDA.

B. The Project of Inland Waterways Authority of India (IWAI)

The Inland Waterways Authority of India, which is a statutory body constituted under the Inland Waterways Authority of India Act 1985[2], is proposing to develop a multi modal water terminal at Ram Nagar, Varanasi. The land acquisition proceedings were completed in 2010 and approximately 5.6 hectares of land have been acquired. Among the waterways which have been declared as National Waterways, in implementation of the provisions of Section 14, is NW-1 which covers the Ganga – Bhagirathi – Hooghly river system from Allahabad to Haldia at a distance of 1620 Kms, traversing the States of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2 IWAI Act

Permanent jetties with mechanical handling facilities have been set up at Patna and Kolkata in addition to which jetties for berthing facilities have been provided at two other places. The project envisages as many as twenty floating terminals at various locations between Haldia and Allahabad. The Vice Chairperson of IWAI, who has assisted the learned Senior Counsel during the course of the hearing of these proceedings, has stated before the Court that the project is being implemented with the technical and financial assistance of the World Bank involving a total of USD 859 million. The project at Ram Nagar is on the south bank of the river and involves the construction of off shore jetties which will not impede the flow or current of the river.

The Environmental Impact Assessment Notification of the Ministry of Environmental and Forests dated 14 September 2006 covers in item 7 (e) of its schedule, projects for ports and harbours. The Court has been apprised of the fact that though the provisions of the notification of MOEF dated 14 September 2006 are not attracted to the project, detailed environmental impact assessments and cumulative impact assessments have been carried out for the project.

The learned Additional Solicitor General of India has placed on the record a copy of the Draft Environmental Assessment Report in respect of Phase 1A of Multi Modal River Water Terminal at Ram Nagar, Varanasi. The submissions which have been made before the

Court indicate that the draft EIA report deals with the environmental impact assessment up to the stage of the commissioning of the project and hence, it would be appropriate if IWAI also undertakes to carry out an environmental impact assessment of the position after the commissioning of the project. We deem this suggestion to be fair and proper and the suggestion of the learned Amicus Curiae has not been opposed by the IWAI.

Accordingly, we allow the application which has been filed by IWAI and permit the authority to proceed with the project, subject to the receipt of all the required statutory clearances. This shall, however, be subject to the condition, which we have proceeded to accept of a requirement of obtaining an environmental impact assessment in respect of the project after the date of its commissioning.

C. <u>Repair and Construction of Ghats</u>

Applications have been submitted by the State (Irrigation Department) and (Jal Nigam) for (i) construction and development of four new Ghats on the banks of the river Ganga at Varanasi; and (ii) for carrying out the work of repair at the Ghats.

I. By orders dated 11 September 2014 and 29 January 2015, this Court had directed both the Union Government and the State Government to extend cooperation in the preparation of a

comprehensive analysis and plan by a team of experts, consisting of eminent persons drawn from diverse branches, including conservation architecture, ecology, hydro-geology, civil engineering and urban planning for the purpose of formulating a perspective plan for preserving the intrinsic character and heritage importance of Varanasi. The issues which were flagged in the order of this Court included the following:

> "(i) identification of the historic ghats, assessment of their heritage value, determining the present condition as well as the need and extent of restoration;
>
> (ii) repair of old constructions along side the banks of the river and the need to monitor the nature of the work that would be permitted and implemented;
>
> (iii) monitoring any new construction;
>
> (iv) pollution of the river caused due to new constructions along side the ghats;
>
> (v) public utilities and services on the ghats;
>
> (vi) sanitation and hygiene along side the ghats;
>
> (vii) addressing the issue of ecological imbalance."

In pursuance of the order of this Court, a notification has been issued by the Union Government (National Mission for Clean Ganga), Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation. A committee of experts has been constituted consisting

of the following members:

"i. Chairman, Varanasi Development Authority.....Chairman

ii. Nominee of State Government, Uttar Pradesh

iii. Commissioner, Nagar Nigam, Varanasi

iv. District Magistrate, Varanasi

v. Shri Jahnwij Sharma, Director- Conservation, ASI

(Representative of Ministry of Culture, Govt. of India)

vi. Shri R.P. Singh, Supdt. Engineer, CPWD, Varanasi

(Representative of Ministry of Urban Development, Govt. of India)

vii. Shri Udit Ratna, Town & Country Planner, Town & Country Planner Organization

(Representative of Ministry of Urban Development, Govt. of India)

viii. Regional Director, Central Ground Water Board, Lucknow

(Representative of MoWR, RD & GR, GoI as Hydro-geology expert)

ix. Nominee, Department of Environment, Govt. of UP (as Ecology expert)

x. Additional Mission Director, National Mission for Clean Ganga, MoWR, RD & GR, Delhi

…......Member Convener"

The terms of reference of the committee are as follows:

"i. To preserve and restore the intrinsic character and heritage importance of Varanasi Ganga Ghats with comprehensive analysis and Plan.

ii. Identification of the historic Ghats, assessment of their heritage value, determining the present condition as well as the need and extent of restoration of existing Ghats and proposal of new Ghats.

iii. Consider and recommend repair of old constructions alongside the banks of River Ganga and the need to monitor the nature of work that may be permitted.

iv. Assess the extent of pollution and recommend mitigative measures arising due to new construction, waste disposal, throwing of pious materials, and river-surface cleanliness along the Ghats.

v. Mechanism for monitoring of new construction, if any that may be permitted.

vi. Public utilities and services, sanitation and hygienic condition alongside of the Ghats.

vii. Addressing the issue of ecological imbalance."

In the application which has been filed by the State (Jal Nigam) for repair of the Ghats, it has been stated that the plan for repairs has been sanctioned by the State Government so as to ensure the availability of basic infrastructure to cater to the needs of domestic and international tourists and pilgrims by providing facilities of toilets, drinking water, information kiosk, guiding tours, telecommunications and other ancillary facilities. The sanctions which were received cover the period from 2011 to 2015, details of which have been provided as follows:

"The plan for the year 2011-12 envisages installation of

electrical poles, sanitary and plumbing equipment, external illumination and also dismantling work, amongst other things for which the Government has been pleased to sanction the amount of Rs. 1165.96 crores.

The plan for the year 2012-13 for which a sanction for an amount of Rs. 1173.85 crores has been accorded, envisages construction of horticulture operations, street furniture, earth work, dredging work, clearance of site and civil and conservation work.

The plan for the year 2013-14 has been sanctioned at a total cost of Rs. 1174.81 lacs and the plan for 2014-15 has been sanctioned at an estimated cost of Rs.1155.31 lacs."

In our view, now that a broad based committee has been constituted by the National Mission for Clean Ganga, consisting both of the representatives of the State Government as well as the Union Government, it would be appropriate and proper if the proposals for repair of the Ghats are placed before the committee. The terms of reference of the committee include the preservation and restoration of the intrinsic character and heritage importance of the Ghats on the banks of the river at Varanasi. The terms of reference are broad enough to cover proposals for repair and restoration of the Ghats.

Hence, we are of the view that it would be but appropriate and proper that the broad based committee which has been constituted considers the proposals which have been moved before the Court. Upon the receipt of the consent of the committee, the State

Government would be at liberty to proceed with the work of repair. In order to facilitate the fulfillment of the urgent need of repairing of the Ghats and to provide amenities to tourists, pilgrims as well as the local residents who visit the Ghats on a daily basis, we would request the committee initially to meet at least once every fortnight so as to facilitate an early decision on the proposal for repair. Once the requisite consent has been granted, the committee would be at liberty to schedule its meetings in accordance with the exigencies of work. To facilitate the work of repair of the Ghats, we lift the order of restraint. We clarify that subject to the above, the interim order shall not stand in the way of the carrying out of repairs to the Ghats.

II. Insofar as the proposal for the construction of four new Ghats is concerned (the learned Chief Standing Counsel has informed the Court that the initial proposal for four Ghats has now been enhanced to five new Ghats), we propose to issue a direction to the effect that this proposal should also be initially placed before the committee constituted on 17 February 2016 by the office memorandum referred to above. This application which has been submitted before the Court for construction of new Ghats and for the grant of permission by the Court would be taken up after the committee has an opportunity to consider the proposal and to submit a report in regard thereto containing its observations and findings. The committee would be at liberty to consider the matter from all its perspectives and suggest

such environmental and other safeguards as may be necessary if the proposal is found to be in order. We would request the committee to finalize its report on these aspects preferably within a period of two months from today. We direct that the representative of INTACH be also associated with the work of the committee.

Order on the Order Sheet

We direct that these proceedings be listed on 27 May 2016 at 2:00 pm so that the Court can be apprised of the status of the proceedings.

Order Date :- 28.4.2016
RK

(Dilip Gupta, J) (Dr D Y Chandrachud, CJ)

C.M. Application No. 135071 of 2015

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 31229 of 2005

***

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

Allowed.

For orders, see order of date passed on the order sheet of the petition.

Order Date :- 28.4.2016
RK

(Dilip Gupta, J) (Dr D Y Chandrachud, CJ)

Annexure-5

कार्यालय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी

जनहित याचिका संख्या–31229/2005 कौटिल्य सोसायटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 का कार्यवृत्त

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या–31229/2005 कौटिल्य सोसाइटी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2014 व 29.01.2015 के अनुपालन में Director, National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Government of India, New Delhi द्वारा निर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.02.2018 के अनुक्रम में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयुक्त कार्यालय सभागार में दिनांक 30.05.2018 को अपराह्न 5.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री दीपक अग्रवाल, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. श्री योगेश्वर राम मिश्र, जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. श्री राजेश कुमार, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. श्री अविनाश चन्द्र मिश्र, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, वाराणसी।
5. श्री विनोद कुमार सक्सेना, नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
6. श्री राम विजय सिंह, पी.एम. यूपीआरएनएन।
7. श्री अभिमन्यू एस0 राय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. श्री अजीत कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, वाराणसी।
9. श्री आलोक जैन, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
10. श्री अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
11. श्री मनोज कुमार सहा, नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
12. श्री पवन न्यायापती, डायरेक्टर, पी0डब्ल्यू0सी0।
13. श्री कुनाल अग्रवाल, सीनियर कन्सल्टेन्ट, पी0डब्ल्यू0सी0।
14. श्री प्रियांशू सक्सेना, कन्सल्टेन्ट पी0डब्ल्यू0सी0।
15. श्री ज्ञानचन्द्र पी.एम.सी. एन.बी.सी.सी. वाराणसी।
16. श्री डी0पी0 सिंह, सीनियर मैनेजर, प्लानर इण्डिया लि0।
17. श्री विवेक कुमार राय, सिविल इंजीनियर (जायका) पी.एम. यू. नगर निगम वाराणसी।
18. श्री ज्ञानदीप जायसवाल, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, इन्टैक।
19. इंजीनियर एकान्त तैयर, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी.एण्ड.डी.एस. वाराणसी।

सर्व प्रथम उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति की विगत बैठक दिनांक 02.04.2018 के कार्यवृत्त से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया तदुपरान्त एजेण्डावार विषयों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

1. <u>एजेण्डा बिन्दु सं0–1, अस्सी घाट से नया पुल तक की परियोजना का कार्य</u>–सी0सी0एल0 (कोल इण्डिया लि0) संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इस पर आयुक्त महोदय

द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.सी.एल. एवं सिंचाई विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में ओवरलैपिंग कार्यों की स्थिति स्पष्ट कर ली जाय तत्पश्चात् पुनः संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

2. एजेण्डा बिन्दु सं0–2, पिरामल फाउण्डेशन दशाश्वमेध, शीतला व आर0पी0 घाट के पुनरूद्धार एवं विकास कार्य–संस्था की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इस सम्बन्ध में पिरामल फाउण्डेशन को पत्र प्रेषित करने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने एवं कार्य में रूचि न लेने के कारण क्यों न आपकी परियोजना को निरस्त कर सूची से हटा दिया जाय।

3. एजेण्डा बिन्दु सं0–3, इंजीनियर्स इण्डिया लि0/प्लानर्स इण्डिया के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी में गंगा के 71 घाटों के मरम्मत/पुरूद्धार के कार्य हेतु समिति के दो सदस्यों–ए0एस0आई एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर नई दिल्ली से अभी अनापत्ति प्राप्त करना शेष है। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि समस्त शेष सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त कर परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने के साथ योजना सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

4. एजेण्डा बिन्दु सं0–4, लोहिया घाट, रामनगर घाट, गढ़वा घाट, राजनारायण घाट, मालवीय घाट के नये कार्य– सिंचाई विभाग की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि समिति के सभी सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा प्रस्तावित कार्य तथा सी0आई0एल0 के कार्य में ओवरलैपिंग हो रही थी। इसके कारण सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विश्वसुन्दरी पुल के पास स्थित नये गढ़वा घाट आश्रम के पास घाट के निर्माण के प्रस्ताव का प्रजेन्टेशन किया गया। इस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के प्रभावी आदेश/स्थगनादेश आदि के अधीन समिति द्वारा कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

5. एजेण्डा बिन्दु सं0–5, अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी की 33/11 के0वी0 नगवां विद्युत उपकेन्द्र– का कार्य जनहित की अवस्थापना सम्बन्धित आवश्यक परियोजना है। अतः ऐसे कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत उक्त परियोजना कार्य की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

6. एजेण्डा बिन्दु सं0–6, पी0डब्ल्यू0सी0 (एन0एच0ए0आई0) वाराणसी में इण्टर माडल स्टेशन को विकसित किया जाना–बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सी0पी0डब्ल्यू0डी0 एवं नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। एन0एम0सी0जी0, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर नई दिल्ली, इण्टेक के सुझाव प्राप्त है। शेष अन्य से प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन सदस्यों द्वारा अनापत्ति के साथ सुझाव प्राप्त हैं, उनके सुझाव का अनुपालन

कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी। साथ ही कार्यदायी संस्था को शेष समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

7. **एजेण्डा बिन्दु सं0–7, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना पर गंगा के किनारे कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्य**–गोदौलिया से दशाश्वमेघ घाट तक मार्ग का कार्य (पेडेस्ट्रीयेशन एण्ड फुटपाथ) एवं अस्सी घाट पर सुलभ प्रसाधन एवं रोड इम्प्रूवमेंट, राजघाट पर सुलभ प्रसाधान एवं रोड इम्प्रेवमेंट का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह पाया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. **एजेण्डा बिन्दु सं0–8, नगर निगम द्वारा गंगा किनारे घाट पर 08 नये शौचालय का निर्माण का कार्य का प्रस्ताव**:–नगर निगम के प्रतिमिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 8 नये शौचालय–तेलियानाला घाट, सक्का घाट, नन्देश्वर घाट, त्रिलोचन घाट, आदिकेशव घाट, नया अस्सी घाट, रविदास घाट, राज घाट(2) पर निर्माण कराये जाने के प्रकरण पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य जनहित/आवश्यक जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अवस्थापना सम्बन्धी कार्य है। अतः इस कार्य को कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अंत में बैठक सधन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

(दीपक अग्रवाल)
आयुक्त/अध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक :–141 /वि0प्रा0/न0नि0/2018–19 दिनांक–07·06·2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (मनोनीत सदस्य राज्य सरकार)।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी
5. श्री जान्हविच शर्मा, डायरेक्टर कन्जर्वेशन, ए0एस0आई0 नई दिल्ली।
6. श्री ए0के0 सिंह सी.पी.डब्लू.डी., बी.एच.यू., प्रोजेक्ट डिवीजन–1, वाराणसी।
7. श्री परेश कुमार दुरियां, एसोसिएट टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली।
8. श्री वाई0वी0 कौशिक, रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ।
9. श्री अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्र0नि0 बोर्ड, वाराणसी (मनोनीत सदस्य पर्यावरण विभाग, उ0प्र0।
10. श्री हरिहर मिश्रा, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, एन0एम0सी0जी, नई दिल्ली।

श्री अवध नरेश गुप्ता, टेक्निकल कान्सल्टेन्ट, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, लखनऊ।

श्री दिव्य गुप्ता डायरेक्टर, इन्टैक, नई दिल्ली।

3 श्री हरिश्चन्द्र यादव, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग, वाराणसी।

4 श्री अभिमन्यू एस राय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग वाराणसी।

15 श्री एन0के0 सिंह सहा0अभि0 सिंचाई विभाग।

16 श्री अशोक कपूर, संयोजक, इन्टैक, वाराणसी।

17 श्री आशीष अस्थाना, अधीक्षण अभियन्ता, पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. वा0

18 श्री अरूण कुमार सिंह, ए0पी0एम0, सी0 एण्ड डी0 एस0, वाराणसी।

19 श्री अविनाश कुमार मिश्रा, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, वाराणसी।

20 श्री अवधेश मिश्रा, एस0डी0ओ0 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।

21 श्री आलोक कुमार एच0ओ0डी0 कोल इण्डिया।

22 श्री एस0डी0सिंह सीनियर मैनेजर, कोल इण्डिया।

23 सुश्री दिपिका सिंह, जी.एम. पिरामल ग्रुप।

24 श्री डी0पी0सिंह सीनियर मैनेजर प्लानर इण्डिया।

25 श्री अभय कुमार, मैनेजर ई0आई0एल0।

26 श्री एस0बी0 सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एन0एच0ए0आई0, वाराणसी।

27 श्री पवन कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर, पी.डब्ल्यू.सी।

(दीपक अग्रवाल)
आयुक्त / अध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

Annexure-6

संख्या- 50 /2024/आई/497894 /001-41-1002-001-273-2023-CN-1759690

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 16 फरवरी, 2024**

विषय:- जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4143ए/6-1-1(1190)/2023-24 दिनांक 15.09.2023 एवं पत्र संख्या-7484/6-1-1/(1190)/2020-21 दिनांक 04.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित गढ़वा घाट के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 1188.68 लाख के सापेक्ष उ0प्र0 प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था चयनित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1154.16 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के दृष्टिगत प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 1154.16 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण गंगा नदी तट पर किया जाना प्रस्तावित है। अत: सिंचाई विभाग से यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं परामर्श प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(20) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(22) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/ 2023/ ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

(24) प्रायोजना का परीक्षण लोक निर्माण/सिंचाई विभाग की अद्यतन अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर-2023 पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की अनुसूची दरों वर्ष 2020/2021 एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(25) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 3,50,00,000 (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044600 वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-492/दस-2023-24, दिनांक-08.02.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by संजीव कुमार श्रीवास्तव
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।
Date: 16-02-2024 17:52:27
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), यूनिट-3, वाराणसी।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

Annexure-7

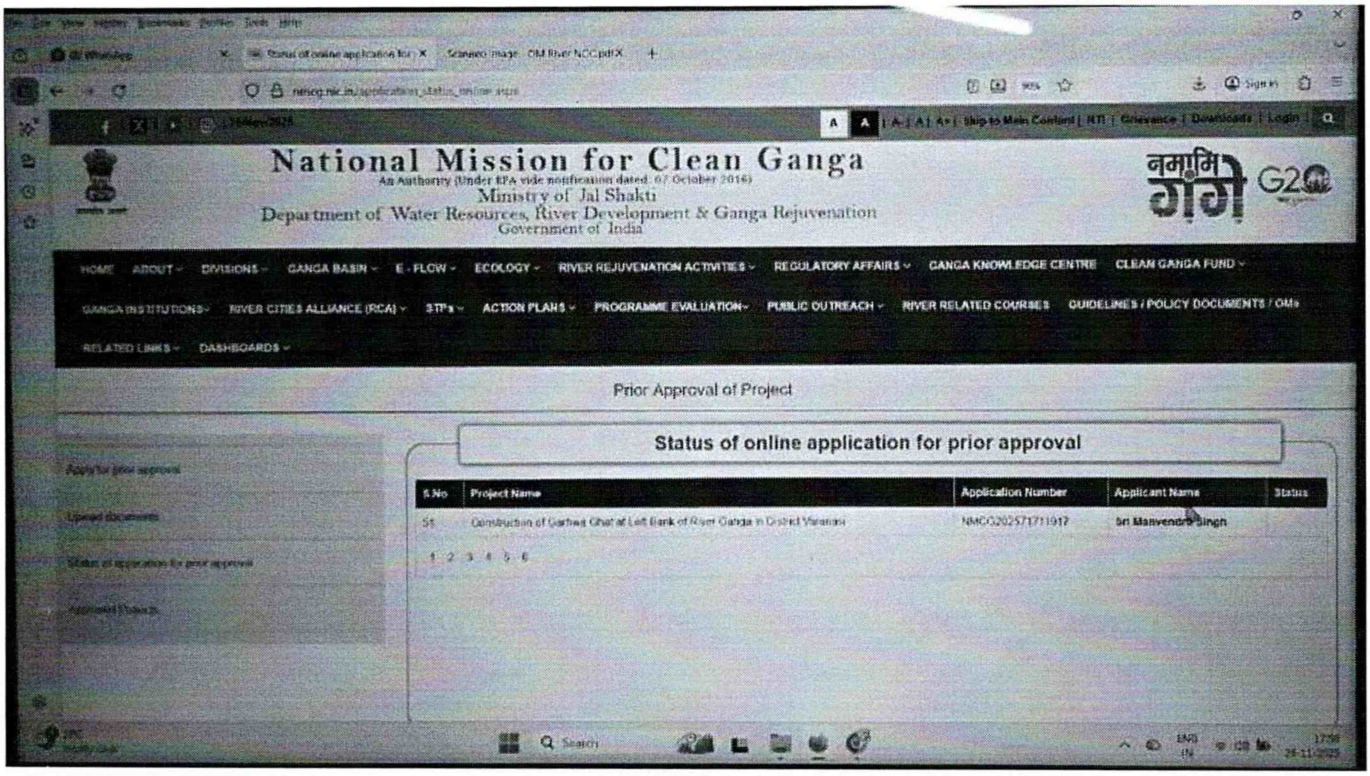
National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
Government of India
HOME ABOUT DIVISIONS GANGA BASIN E-FLOW ECOLOGY RIVER REJUVENATION ACTIVITIES REGULATORY AFFAIRS GANGA KNOWLEDGE CENTRE CLEAN GANGA FUND
GANGA INSTITUTIONS RIVER CITIES ALLIANCE (RCA) STPs ACTION PLANS PROGRAMME EVALUATION PUBLIC OUTREACH RIVER RELATED COURSES GUIDELINES / POLICY DOCUMENTS / OMs
RELATED LINKS DASHBOARDS
Prior Approval of Project
Status of online application for prior approval
S.No
Project Name
Application Number
Applicant Name
Status
Construction of Garhwa Ghat at Left Bank of River Ganga in District Varanasi
Sri Manvendra Singh

Annexure - 8

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

पत्रांकः 1205 /OA.No.1088/2024/25-26 दिनांकः 28 जनवरी, 2026

सेवा में,

संयुक्त निदेशक पर्यटन

वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

विषयः—मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 1088/2024 **Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** के अन्तर्गत गढ़वा घाट के निर्माण हेतु एन0एम0सी0जी0 अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 1088/2024 Natural Social Services Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेशों, जो गढ़वा घाट निर्माण के सम्बंध में है, का संदर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2026 को जिला गंगा समिति की आहूत बैठक में यह तथ्या प्रकाश में आया कि गढ़वा घाट में निर्माण कार्य उ0 प्र0 पर्यटन विभाग की कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा कराया रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) द्वारा आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सम्बोधित आपने पत्र संख्या G-02/2016-117/430/NMCG, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के बिन्दु 09 द्वारा गढ़वा घाट के निर्माण कार्य हेतु ऑफलाइन अनुमति प्रदान की गई है। एन0एम0सी0जी0 से पुनः अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान तक गढ़वा घाट के निर्माण हेतु एन0एम0सी0जी0 से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि जबतक गढ़वा घाट के निर्माण हेतु एन0एम0सी0जी0 से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है, तबतक गढ़वा घाट पर परियोजना कार्य स्थगित रखा जाए।

(सत्येन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

वाराणसी।

o/c

संदर्भ संख्या एवं दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपिः—परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0—3, वाराणसी।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

वाराणसी।

o/c